

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग


क्र.सं. प.7(523)परि/नियम/मु./2018/1323

जयपुर, दिनांक: 22-01-19

आदेश

ई-रिक्शा/ई-कार्ट के चालकों के प्रशिक्षण हेतु स्थापित प्रशिक्षण केन्द्र का प्राधिकार-पत्र
(देखे:- केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 8 ए)

मैसर्स ई-रिक्शा वेलफेयर सोसायटी, महामंदिर सर्किल के पास, मंडोर रोड, जोधपुर को ई-रिक्शा/ई-कार्ट चालको को केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989, के नियम 8ए में अपेक्षित 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान करने की स्वीकृति दी जाती है। यह स्वीकृति मोटर यान अधिनियम, 1988 एवं केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नवीनतम प्रावधानों एवं विभागीय कार्यालय आदेश 16/2018 दिनांक 09.05.2018 की शर्तों के अधीन होगी। मैसर्स ई-रिक्शा वेलफेयर सोसायटी, महामंदिर सर्किल के पास, मंडोर रोड, जोधपुर द्वारा राज्य के ई-रिक्शा/ई-कार्ट के चालकों हेतु यह प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान करना होगा।


(धर्मन्द्र कुमार)
संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)

o/c